उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 38/2017/1596/छप्पन-2016-5/2011
लखनऊ: दिनांक : 13 अप्रैल, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तर प्रदेश के अधीन अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई, उ0प्र0, लखनऊ में कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1536/छप्पन-2010-26/2008 टी0सी0, दिनांक 03 दिसम्बर, 2010 द्वारा हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर श्री लवप्रीत सिंह को नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 1,25,000/- (रूपये एक लाख पच्चीस हजार मात्र) पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की अवधि के लिए संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्री लवप्रीत सिंह द्वारा दिनांक 10.01.2011 के पूर्वान्ह में अपना कार्यभार ग्रहण किया था, जिसकी अवधि दिनांक 09.01.2012 को समाप्त हो गयी। तदुपरान्त वर्षानुवर्ष इनकी संविदा अवधि बढायी जाती रही। अन्तिम बार कार्यालय-ज्ञाप संख्या-196/छप्पन-2016-5/2011, दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा इनकी संविदा अवधि 01 वर्ष के लिए बढ़ाई गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 09.01.2017 को समाप्त हो रही है। चूंकि निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 ने अनुरोध किया है कि हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर श्री लवप्रीत सिंह की सेवाओं की अभी आवश्यकता है, अतः सम्यक विचारोपरान्त श्रीराज्यपाल हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता के पद पर श्री लवप्रीत सिंह की संविदा अवधि दिनांक 10.01.2017 से आगामी 03 वर्ष (अर्थात् 10.01.2017 से 09.01.2020 तक) के लिए वर्तमान में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक पर बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। श्री लवप्रीत सिंह को शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014, दिनांक 09-09-2014 के अनुसार नियत मासिक पारिश्रमिक एवं वार्षिक बृद्धि अनुमन्य होगी।

2- श्री लवप्रीत सिंह को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होंगे। उपर्युक्त शर्तों के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम 157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

3- श्री लवप्रीत सिंह से संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध-पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

[redacted]

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

श्री लवप्रीत सिंह,
हेलीकाप्टर अनुरक्षण अभियन्ता,
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
(अनुरक्षण, सुरक्षा एवं सामान्य प्रशासन इकाई)
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

-----2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 38/2017/1596(1)/छप्पन-2016- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि श्री लवप्रीत सिंह से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2- महालेखाकार-प्रथम (आडिट/लेखा), उ0प्र0, इलाहाबाद।

3- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35, वी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 सत्य प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।